कार्यान्वयन तंत्र

जाँच

- मौजूदा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों पर नवजात शिशु जाँच
- आशा द्वारा घर जाकर जन्म से 6 सप्ताह तक के बच्चों की जाँच
- मोबाइल स्वास्थ्य दलों द्वारा 6 महीने से 18 साल तक के बच्चों की आँगनवाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों में जाँच।

रेफरल

- जिला अस्पताल में डी.ई.आई.सी. बच्चों के भविष्य में किए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी आकलन तथा पुष्टि और उचित स्वास्थ्य सुविधा के लिए रेफरल शृंखला के रूप में कार्य करता है।

प्रबंधन

- जिले में डी.ई.आई.सी. या उच्च स्तर की तृतीयक स्तर पर पूर्व चिन्हित स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा शल्य चिकित्सा सहित निःशुल्क सेवाएँ।

जन्म से विकृति दोष
पौष्टिकता का अभाव
रोग
विकास संबंधी विलंब

चार विकार बच्चों में जन्म से 18 वर्ष की उम्र तक

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के साथ हमारे बच्चों के विकास और पूर्ण संज्ञानात्मक क्षमताओं की वृद्धि में मदद करें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली
टेलीफोन : 91-11-2610-6036
ई–मेल : nationalrbskunit@gmail.com
वेबसाइट : http://www.nrhm.gov.in

सत्यमेव जयते

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर. बी. एस. के.)

बाल स्वास्थ्य जाँच और त्वरित उपचारात्मक सेवाएँ

RBSK Brochure CS6 Version.indd 1 01-Jun-15 10:36:35 AM

भारत में बाल स्वास्थ्य मामलों की जटिलताएँ

जन्मे प्रत्येक 100 बच्चों में से 6 से 7 बच्चों में **जन्म से ही अपूर्णता** होते हैं।

70 प्रतिशत शाला पूर्व बच्चों में विभिन्न पौष्टिक **कमियाँ** होती हैं।

दंतक्षय, कान का बहना, हृदय रोग और पसली चलना या दमा जैसे **रोग** बच्चों में बहुत आम हैं।

बचपन में **विकास संबंधी विलंब** सामान्य है जो 10 प्रतिशत बच्चों को प्रभावित करता है।

प्रारंभिक जाँच और उपचार द्वारा बच्चों में अधिक गंभीर तथा दुर्बलता उत्पन्न करने वाले कारणों को रोका जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप अस्पतालों में बच्चों की भर्ती में कमी तथा स्कूल में उनकी उपस्थिति में वृद्धि होती है।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर. बी. एस. के.)

''अपने बच्चों को 21वीं सदी के लिए तैयार करना''

- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम बाल स्वास्थ्य जाँच और शुरुआती उपचार को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई एक महत्वपूर्ण पहल है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में व्याप्त 38 चिन्हित स्वास्थ्य स्थितियों की शीघ्र जाँच और उपचार करना है।
- इस कार्यक्रम में जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को शामिल किया गया है।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को एक नया आयाम देता है जो अब इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित हो गया है।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक चरणबद्ध तरीके से 27 करोड़ बच्चों तक पहुँचने का लक्ष्य है।
- 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की, आंगनवाड़ी केन्द्रों में, वर्ष में दो बार जाँच और मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा स्कूली बच्चों की वर्ष में एक बार जाँच इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है।
- मोबाइल स्वास्थ्य टीम चार कर्मचारियों से बनती है–दो AYUSH चिकित्सक (एक पुरुष और एक महिला), एक ANM स्टॉफ नर्स और एक फॉर्मेसिस्ट।
- जिला शीघ्र उपचार केन्द्र (DEICs) सभी जिलों में स्थापित किया जा रहा है जो विशेषज्ञ सेवाएँ प्रदान करेगा तथा रोग की पुष्टि, रेफरल, प्रबंधन और रिर्पोटिंग जैसे सभी गतिविधियों के केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे।

RBSK Brochure CS6 Version.indd 2 01-Jun-15 10:37:12 AM